बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0सं0–3 / अ0प्र0–1–127 / 2022

1013 / पटना, दिनांक– 17/4/2024

बेगूसराय जिलान्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड में कार्य प्रमंडल, बलिया के अधीन नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजनान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर आहो कृति टोला चौकी एवं विष्णुपुर आहोक के बीच निर्मित 8X24.75 मी0 आकार के उच्च स्तरीय पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का डेक स्लैब टूट कर नदी में गिर जाने की घटना की जाँच अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति से करायी गयी। अभियंता प्रमुख के पत्रांक–2950 अनु0 दिनांक–20.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आलोच्य पुल के पीयर P1 तथा P2 के बीच के Super Structure का स्पैन तीनों मेन गर्डर के बीचों बीच टूट जाने के कारण क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिरा हुआ पाया गया। जाँच प्रतिवेदनानुसार पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का स्पैन अपने Self load के कारण ही क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कार्य के खराब गुणवत्ता को प्रमाणित करता है।

2. उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पुल का निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराये जाने संबंधी आरोपों पर विभागीय पत्रांक–2214 अनु0 दिनांक–23.12.2022 द्वारा श्री रंजीत कुमार भारती, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री भारती से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत इसे अस्वीकार योग्य पाते हुए अधिसूचना सं0–94–सह–पठित ज्ञापांक–95 दिनांक–10.01.2023 द्वारा श्री भारती को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया। साथ हीं इनके विरूद्ध उपर्युक्त आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना सं0–119 दिनांक–12.01.2023 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। इसी बीच श्री भारती द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 29.02.2024 समर्पित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के फलस्वरूप जीवन–यापन में कठिनाई होने का उल्लेख किया गया है तथा विभागीय कार्यवाही को यथावत रखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. श्री भारती से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री भारती के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत् रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

5. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री भारती, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध मुख्य अभियंता–2 के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत् रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के पश्चात् श्री भारती, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

6. श्री भारती के निलंबन अवधि के विनियमन का निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/04/24

(डा0 फतेह फैयाज)

संयुक्त सचिव

Adhisuchna

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 1013 /पटना, दिनांकः– 12/4/2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 1013 /पटना, दिनांकः– 12/4/2024

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/बेगूसराय/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 एवं श्री रंजीत कुमार भारती, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 1013 /पटना, दिनांकः– 12/4/2024

प्रतिलिपिः–विभागीय आइ0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/4/24

संयुक्त सचिव

Raly
12/04/2024

Adhisuchna